



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2000/आषाढ़ 7, 1922

No. 352]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2000/ASADHA 7, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2000

सा. का. नि. 570(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय कर (दूसरा संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 2000 (2000 का पंजाब अधिनियम सं. 7) का चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. संपूर्ण अधिनियम में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां भी वे आते हैं, "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।
2. धारा 1 में,—
 - (i) उपधारा (1) में "पंजाब साधारण विक्रय कर (दूसरा संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 2000" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित पंजाब साधारण विक्रय कर (दूसरा संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 2000" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;
 - (ii) उपधारा (2) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
" (क) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।";
 - (iii) उपधारा (2) के खंड (ख) में उपखंड (ii) और उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा।

3. धारा 4 और धारा 5 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11015/5/2000-यू.टी.एल.(201)]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

उपाबंध

पंजाब साधारण विक्रय कर (दूसरा संशोधन) और विधिमाम्यकरण अधिनियम, 2000

(2000 का पंजाब अधिनियम, सं. 7)

पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विक्रय कर (दूसरा संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 2000 है।

2. (क) इस अधिनियम की धारा 2, 1 अप्रैल, 1999 को ही प्रवृत्त हुई समझी जाएगी;

(ख) (i) इस अधिनियम की धारा 3 तुरंत प्रवृत्त होगी किन्तु इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 'क' के प्रवर्ग IV के अधीन मद सं. II और 26, प्रवर्ग IX के अधीन मद 5 और प्रवर्ग X के अधीन मद 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मालों की बाबत यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और जब तक अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती है इन मालों की बाबत कर अनुसूची 'क' के प्रवर्ग XI में विनिर्दिष्ट दरों से उद्ग्रहीत किया जाएगा;

(ii) इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 'क' के प्रवर्ग IX के अधीन मद 56 में विनिर्दिष्ट मालों पर कर की दर 31 मार्च, 2000 तक

प्रवृत्त बनी रहेगी और उसके पश्चात् इन मालों पर कर की दर अनुसूची 'क' के प्रवर्ग X के अधीन यथाविनिर्दिष्ट होगी ;

(iii) अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 'ख' के मद 69, 70 और 71 में विनिर्दिष्ट माल 31 मार्च, 2000 तक कर मुक्त माल रहेंगे और उसके पश्चात् इन मालों पर कर की दर वह होगी जो अनुसूची 'क' के प्रवर्ग X में विनिर्दिष्ट है।

2. 1948 का पंजाब अधिनियम 46 की धारा 4 का संशोधन.—पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (5) में,—

- (i) खंड (खख) में "रेस्टोरेंट" शब्द और संकेत के स्थान पर "रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकान, बैकरी" शब्द और संकेत रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (खखख) का लोप किया जाएगा; और
- (iii) खंड (ग) में "(ख), (खख), और (खखख)" कोष्ठक, अक्षर, संकेत और शब्दों के स्थान पर "(ख) और (खख), कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।"

3. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 5 का संशोधन.—मूल अधिनियम में,—

(अ) धारा 5 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यौहारी की कराधेय आवृत्त पर उस दर से कर उद्ग्रहीत किया जाएगा जो एक रुपए पर बीस पैसे से अधिक न हो और जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु यह कि अनुसूची 'क' में यथा-प्रवर्गित मालों पर कर की दर उतनी होगी जो इस अनुसूची में उन मालों के लिए विनिर्दिष्ट की गई हो। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आराध की कम से कम दस दिवस की सूचना देने के पश्चात् वैसी ही अधिसूचना द्वारा इस अनुसूची में जोड़ सकेगी या उसमें से लोप कर सकेगी और उस पर अनुसूची को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह पूर्व प्रकाशन की शर्त से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी :

परन्तु यह और भी कि किसी घोषित माल पर कर की दर एक रुपये पर चार पैसे से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—कर की रकम पचास पैसे या उससे कम को छोड़ते हुए और निकटतम रुपए तक संगणित करके और पचास पैसे से अधिक को 1 रुपया संगणित करके संगणित की जाएगी।"

1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 6 का प्रतिस्थापन—(अ) धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"6. अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट मालों के विक्रय पर, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, कोई कर संदेय नहीं होगा :

कर मुक्त माल

परन्तु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आराध की कम से कम दस दिवस की सूचना देने के पश्चात् वैसी ही अधिसूचना द्वारा इस अनुसूची में जोड़ सकेगी या उसमें से लोप कर सकेगी और उस पर अनुसूची को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह पूर्व प्रकाशन की शर्त से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी।"

(ग) विद्यमान अनुसूची 'क' और 'ख' के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित अनुसूचियां रखें, अर्थात् :—

अनुसूची 'क'

[धारा 5(1) देखिए]

क्रम सं०	माल का विवरण
----------	--------------

प्रवर्ग-1

एक प्रतिशत की दर पर कराधेय माल

1. बुलियन और सिक्के

प्रवर्ग-2

दो प्रतिशत की दर पर कराधेय माल

1. ऐसे आभूषणों और जेवरों से भिन्न आभूषण और जेवरों जिनमें बहुमूल्य या कम मूल्य के या कृत्रिम कम मूल्य के रत्न लगे हों।

प्रवर्ग-3

तीन प्रतिशत की दर पर कराधेय माल

1. दालें, अर्थात् मल्का मसूर और इसकी दाल, सूखी मटर और इसकी दाल, सफेद रवां, राजमां, रांगी (लांल और सफेद), लोबिया दाल, कुल्थ दाल, लोबिया, कंगनी, सांघक, सोयाबीन, ग्वारा, घरवां, चना और इसकी दाल, चना आटा (बेसन), उडुद और इसकी दाल, मूंग और इसकी दाल, मोठ और इसकी दाल, तूर (अरहर) और इसकी दाल।

2. खेल का सामान

प्रवर्ग-4

चार प्रतिशत की दर पर कराधेय माल

1. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 74) की धारा 14 में यथाविनिर्दिष्ट घोषित माल।

2. किरयाना मद अर्थात्—अजवायन, काली मिर्च, लौंग, इलायची, धनिया बीज, दालचीनी, जीरा, चाट मसाला, चना मसाला, फेनुगीक, गरम मसाला, सरसों के बीज, (राई), मीठ मसाला, अनार के बीज, हल्दी, फिनल (सौंफ), एम्बलिक, मायरो बलान (आंवला), आम पापड़, आम की सूखी फांके (कुटा और

- चूर्णीकृत अमचूर), सिलियम बीज (इसबगोल), बड़ी इलायची (इलायची डोडा), टैमरिड (इमली), अनब, कलौंजी (कलावंजी), काली जीरी, कमरकस, गोंद कतीरा और अन्य माल डरौ, वाटर चैस्ट नट्स (सिंघाड़ा), चाकूस, चिरांजी, मैस (जावित्री), नटमैग (जायफल), बे पत्ते (तेजपाता), हैलान (असालिस हैलम), लम्बी पैपर (पीपल मगन), पापी बीज (खसखस), जंगली वायलेट (बनफशा), बेलरिक माइरोबालान (बहेड़ा), शैविलिक, माइरोबालान (हरड़), मज्जीध हैना (मेंहदी), मगज खीरा, मगज तरसूज, मगज कद्दू, मगज खरबूजा, शिकाकाई, सूखी अदरक (सुड), सील सागो (साबूदाना), बीटल नट्स (सुपारी), शोरा, दिल ब्रोज (सोये), एसेफोटिडा (हॉग), रतनजोत लिकोरिस (मुल्लठी), नौसादर थिकरी, नौसादर चूर्ण, नौसादर टिक्की, फिट्टकरी, मस्क कपूर, कोल डोडा, फूलमखाना, नींबू सत, गुगल, फेनुग्रीक पत्ते (मेथी पत्ता), देगी मिर्च (कश्मीरी मिर्च)।
3. वनस्पति घी।
 4. तैयार परिधान जिसमें चमड़े, फर और सिल्क के परिधान सम्मिलित नहीं हैं।
 5. रासायनिक उर्वरक।
 6. कीट नाशी, खरपतवारनाशी, कवकनाशी शाकनाशी और नाशक जीवमार।
 7. पैकिंग सामग्री अर्थात् बेरे, एच डी पी ई थैले और पैक, नालीदार और काष्ठ के बक्से, प्लास्टिक और टिन के आधान जिनके अन्तर्गत ऐसे बैरल, गत्ते के बक्से और थर्माकोल के पैक सम्मिलित हैं जिनका प्रयोग केवल पैकिंग के लिए किया जाता है।
 8. हौजरी का माल।
 9. खली और तेल रहित खली।
 10. निरापद दिवासलाई।
 11. सभी प्रकार के धागे जिनके अन्तर्गत बुनाई की ऊन, कच्ची ऊन और ऊन का अवशिष्ट सम्मिलित है।
 12. फाइबर, ऊर्ण चूड़ा और सभी प्रकार के धागे तथा उनका अवशिष्ट।
 13. अप्रसंस्कृत अनाज इसके अन्तर्गत धान और गेहूँ है।
 14. विदेश से आयातित चीनी।
 15. गुड़, देशी खांड और शक्कर।
 16. कटाई संयंत्र और उनके पुर्जे।
 17. टैक्टर और ट्रैक्टरों के संलग्नक तथा उनके पुर्जे।
 18. दूध, जब इसे विक्रय के लिए कर मुक्त माल से भिन्न किसी माल के विनिर्माण के प्रयोग के लिए क्रय किया जाता है।
 19. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (vi) में यथाविनिर्दिष्ट तिलहन।
 20. सूखे मेवे।

21. रबड़ चप्पल और कैनवस के जूते।
22. स्टेनलैस स्टील और एल्युमीनियम से बनाए गए बर्तन।
23. प्रसंस्कृत सब्जियां, मछली और मांस जब इन्हें बन्द आधानों में विक्रय किया जाता है।
24. अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न सभी माल जब इनका उपयोग ऐसे माल के विनिर्माण के लिए किया जाता है जो पंजाब राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या याणिष्य के दौरान या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान बेचा जाता है और जब इनका अर्जन पंजाब राज्य के भीतर किया जाता है किन्तु इन्हें इस रूप में पंजाब राज्य में नहीं बेचा जाता और न ही भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान इस रूप में बेचा जाता है।
25. ऐसे माल जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार को बेचा जाता है सिवाय वहां जब कि कर की दर निम्नलिखित प्ररूप में प्रमाणपत्र के पेश करने के अधीन रहते हुए चार प्रतिशत से कम है।

प्रमाण-पत्र

(यह तब प्रयोग किया जाएगा जब क्रय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किया गया है)

मूल	दूसरी प्रति
.....जारी करने वाले विभाग का नाम (चाहे यह राज्य सरकार का हो या भारत सरकार का)जारी करने वाले विभाग का नाम (चाहे यह राज्य सरकार का हो या भारत सरकार का)
.....जारी करने वाले कार्यालय का नाम और पताजारी करने वाले कार्यालय का नाम और पता
सेवा में(विक्रेता) प्रमाणित किया जाता है कि हमारे क्रय आदेश सं..... तारीख.....में आदेशित माल जो आपसे क्रय किया गया है निम्नलिखित बिल/कैश मैमो के अनुसार है।	सेवा में(विक्रेता) प्रमाणित किया जाता है कि हमारे क्रम आदेश सं..... तारीख.....में आदेशित माल जो आपसे क्रय किया गया है निम्नलिखित बिल/कैश मैमो के अनुसार है।
आपके चालान सं..... तारीख.....के अधीन की गई आपूर्ति विभाग द्वारा या उसकी ओर से क्रय की गई है।	आपके चालान सं..... तारीख.....के अधीन की गई आपूर्ति विभाग द्वारा या उसकी ओर से क्रय की गई है।
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
विभाग के प्राधिकृत अधिकारी का पदाभिधान	विभाग के प्राधिकृत अधिकारी का पदाभिधान
तारीख.....	तारीख.....

मूल	दूसरी प्रति
विभाग के प्राधिकृत अधिकारी की मुद्रा	विभाग के प्राधिकृत अधिकारी की मुद्रा
तारीख.....	तारीख.....
बिल/कैश मैमो की विशिष्टियां तारीख..... सं०.....	बिल/कैश मैमो की विशिष्टियां तारीख..... सं०.....
रकम.....	रकम.....
(टिप्पणी—विक्री के लिए प्रेषित की जाए)	(टिप्पणी—क्रय करने वाले सरकारी विभाग द्वारा प्रतिधारित की जाए)

26. अधिनियम के अधीन राजस्वीकृत औद्योगिक इकाइयों द्वारा विक्रय के लिए कराधेय माल के विनिर्माण में उनके द्वारा उपयोग के लिए क्रय किए गए औद्योगिक निवेश :-

- (क) अलौह धातु, अर्थात् मल्फर, जस्ता और एल्युमीनियम.
- (ख) पट्टा चढ़ाने;
- (ग) रसायन अर्थात् फॉस्फोरस, हाइड्रोजेन पैराक्साइड, मिलिकान कार्बाइड, चूना, कार्बोस्टिक सोडा, लौह सिलिकन और नैपथा ;
- (घ) बैयरिंग;
- (ङ) रंजक;
- (च) लौह मिश्रण और उच्च मिश्रण;
- (छ) उच्च ताप सह ईंटें;
- (ज) पालिस्टिरोन; और
- (झ) ट्रांसफार्मर।

प्रवर्ग-5

पांच प्रतिशत की दर पर कराधेय माल

1. मोटरयान जिसमें उनके उपसाधन और पुर्जे सम्मिलित हैं किन्तु ट्रैक्टर और कटाई संयंत्र तथा उनके पुर्जे और संलग्नक सम्मिलित नहीं हैं।
2. हलवाई का माल।

प्रवर्ग-6

छह प्रतिशत की दर पर कराधेय माल

1. खाद्य तेल।
2. बाइसाइकिल जिसके अन्तर्गत उनके भाग और उपसाधन भी हैं।
3. अचार, चटनी, पापड़ और वड़ियां।

प्रवर्ग-7

आठ प्रतिशत की दर पर कराधेय माल

1. ऐसे माल जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

प्रवर्ग-8

दस प्रतिशत की दर पर कराधेय माल

1. खाना बनाने की मशीन।

प्रवर्ग-IX

बारह प्रतिशत की दर से कराधेय माल

क. नं.	माल का वर्णन
1	2
1.	श्रुत सत्य बनाने वाले मिश्रण
2.	आतिशबाजी, इसमें रंगीन माचिस भी है।
3.	पशम और पशम वाली खाले तथा पशम से बनी वेश्याविक्रम और बरेलू उपयोग की वस्तुएं।
4.	लिफ्ट, एस्केलेटर और एलिबेटर और उनके संपटक पुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे और उनके उपसाधन।
5.	डीजल तेल।
6.	संगमरमर, संगमरमर की टाइलें और ग्रेनाइट।
7.	चंदन काष्ठ और उसका तेल।
8.	ध्वनि प्रेषण उपस्कर, इसमें टेलीफोन, लाउट स्पीकर और उनके पुर्जे सम्मिलित हैं।
9.	टाइप राइटर और अनुलिपिकरण मशीनें और उनके पुर्जे।
10.	कटलरी।
11.	रेशम, रेशमी फैब्रिक और उनसे बने वस्त्र।
12.	वैल्यूम क्लीनर, इसमें उसके पुर्जे और उपसाधन हैं।
13.	टी.वी., वी.सी.आर, इसमें उनके पुर्जे और उपसाधन भी हैं।
14.	टेली प्रिन्टर।
15.	ट्रांसफार्मर।
16.	प्रेषण तारें और टावर।
17.	वोल्टता स्थाईकारी, इसमें उनके पुर्जे और उपसाधन भी हैं।
18.	वाशिंग मशीनें, इसमें उनके पुर्जे और उपसाधन भी हैं।
19.	बेतार ग्राही यंत्र और साधित्र, इसमें रेडियो और रेडियो ग्रामोफोन तथा उनके अतिरिक्त पुर्जे, उपसाधन और विद्युत वाल्व, संचायक प्रवर्धक, लाउड स्पीकर और उनके अतिरिक्त पुर्जे और उपसाधन भी हैं।
20.	एयर कंडीशनर, इसमें उनके पुर्जे और उपसाधन भी हैं।
21.	'कृपाण' के सिवाय आयुध और बारूद।
22.	स्टेनलेस स्टील की वस्तुएं, इसमें बर्तन, रजर ब्लेड और शल्यक्रिया यंत्र नहीं हैं।
23.	कालीन।
24.	रबड़ या फोम रबड़ या प्लास्टिक फोम या अन्य संश्लिष्ट फोम या रबडीकृत कायर से बनी गद्दियां, तकिए, गद्दे, चादरें और अन्य वस्तुएं।

1	2
25.	इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और खेल।
26.	चमड़े का माल, इसमें खेल-कूद का माल और जूते नहीं हैं।
27.	वाद्य यंत्र।
28.	संगणक मशीनें और सारणी मशीनें
29.	सिगरेट केस और लाइट।
30.	सिनेमाटोग्राफिक उपस्कर, इसमें उसके साथ उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित कैमरे, प्रोजेक्टर और ध्वनि रिकार्डिंग और पुनरुत्पादक उपस्कर, लेंस, फिल्मों और अन्य पुर्जे तथा उपसाधन भी हैं किंतु फोटोग्राफिक कैमरे और उसके साथ उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित इनलार्जर, लेंस, फिल्में और प्लेटें, कागज और कपड़ा तथा अन्य पुर्जे और उपसाधन नहीं हैं।
31.	कांच की वस्तुएं, कांचित वस्तुएं और चीनी मिट्टी की वस्तुएं किंतु इसमें चूड़ियां और क्राकरी नहीं हैं।
32.	नेपथा।
33.	स्पार्क प्लग।
34.	रबड़ का माल, इसमें जूते नहीं हैं।
35.	कास्मेटिक्स, प्रसाधन सामग्री, इसमें पफ्यूम, सेंट, डियोडोरेंट, सुगंधित केश तेल, केश टॉनिक, हेयर डाई, शैम्पू, साबुन सम्मिलित हैं किंतु दंत ब्रुश, दंत मंजन, दंत चूर्ण, कुमकुम, डेटरजेंट और कपड़े धोने के साबुन नहीं हैं।
36.	सभी प्रकार के आसमंजक, इसमें आसमंजक टेप, सेलोफेन टेप और गोंद भी हैं।
37.	पी.वी.सी. वस्तुएं।
38.	एस्फाल्ट की छतें।
39.	लेमिनेटेड चादरें, इसमें सभी प्रकार की सनमाइका चादरें और फार्मिका चादरें सम्मिलित हैं।
40.	औद्योगिक गैसें, इसमें आक्सीजन, नाइट्रोजन, एसिटीलिन गैस, बर्नर तथा उनके साथ उपयोग किए जाने वाले अन्य उपस्कर और उपसाधन सम्मिलित हैं किंतु इसमें चिकित्सीय गैसें नहीं हैं।
41.	ए.सी.एस. आर. संचालक।
42.	रिफ्रिजरेटर, वातानुकूलन संयंत्र और उनके संघटक पुर्जे तथा उपसाधन।
43.	क्लॉक, टाइम पीस और घड़ियां तथा उनके पुर्जे।
44.	डिक्टाफोन और उनके पुर्जे।
45.	बायनोकुलर, टेलीस्कोप और ओपेरा ग्लास।
46.	ग्रामोफोन और उसके संघटक पुर्जे तथा रिकार्ड।
47.	सभी किस्मों के वैल्यूम फ्लास्क, इसमें खाद्य पदार्थ या पेयों को गरम या ठंडा रखने के लिए थर्मस, थर्मिक जग, आइस बकेट या आइस बाक्स, अर्न और घरेलू पात्र तथा उनके रिफिल भी सम्मिलित हैं।

1	2
48.	स्वच्छता संबंधी माल और फिटिंगें।
49.	परिरक्षित खाद्य पदार्थ, इसमें पैक किए हुए और परिरक्षित रूप में विक्रय किए जाने वाले सभी प्रकार के फल, फल रस और पेय, स्वैश, कार्डियल्स, शर्बत, कैचअप, जैम, अचार, मुरब्बा और चटनी सम्मिलित हैं।
50.	पिकनिक सेट
51.	सभी टाइलें, इसमें मोजैक टाइलें सम्मिलित हैं किंतु रूफिंग टाइलें नहीं हैं।
52.	पेरांबुलेटर।
53.	सेलुलॉयड, बेकलाइट माल और समरूप पदार्थ के माल किंतु बच्चों के खिलौने और प्लास्टिक के जूतों को छोड़कर।
54.	एरोनॉटिक, इसमें एरोप्लेन, भू-उपस्कर, उनके संघटक पुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे और उपसाधन सम्मिलित हैं जिनमें ऐसे एरोप्लेन के लिए अपेक्षित टायर और ट्यूब भी सम्मिलित हैं।
55.	एकल अंकीय लाटरी टिकट जहां लाटरी टिकट की संख्या में आने वाले किसी एकल अंक पर पुरस्कार दिया जाता है।
56.	विदेशी लिंकर जैसा कि पंजाब उत्पाद-शुल्क लिंकर परिभाषा, 1954 के पैरा 2 के उपपैरा (2) में परिभाषित है।

प्रवर्ग-X

बीस प्रतिशत की दर से कराधेय माल

1. एरिएटेड जल, इसमें मृदु पेय सम्मिलित हैं।
2. स्वापक।
3. पेट्रोलियम उत्पाद, इसमें विमानन टर्बाइन ईंधन और मिट्टी का तेल सम्मिलित है किंतु डीजल और कुकिंग गैस सम्मिलित नहीं हैं।
4. मोबिल ऑयल और स्नेहक।
5. मोलेसेस।
6. सभी किस्मों की लिंकर, पंजाब उत्पाद-शुल्क लिंकर परिभाषा, 1954 के पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथा परिभाषित विदेशी लिंकर।
7. परिशोधित स्प्रिट।

प्रवर्ग-XI

क्र. सं.	माल का वर्णन	लागू कर की दरें
1.	डीजल आयल	8 प्रतिशत
2.	मोबिल आयल और स्नेहक	8 प्रतिशत
3.	मोलेसेस	8 प्रतिशत
4.	सभी प्रकार का तंतु, इसमें बुनने वाली ऊन और कच्ची ऊन सम्मिलित है।	2 प्रतिशत
5.	लिंकर, इसमें पंजाब उत्पाद-शुल्क	कुछ नहीं

क्र. सं.	माल का वर्णन	लागू कर की दरें
	लिकर परिभाषा, 1954 के पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथा परिभाषित विदेशी लिकर नहीं हैं।	
6.	परिशोधित स्प्रिट।	कुछ नहीं
7.	अनुसूची 'क' के प्रवर्ग IV के अधीन मद 26 में यथा विनिर्दिष्ट औद्योगिक निवेश।	अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के विद्यमान उपबंधों के अधीन यथा लागू।

अनुसूची 'ख'

(धारा 6 देखिए)

कर से छूट प्राप्त माल

क्र. सं.	माल का वर्णन
1.	जब डिब्बा बंद आधानों में बेचा जाता हो के सिवाय डिब्बा बंद, पकाए हुए, परिरक्षित, प्रसंस्कृत, शुष्कित, निर्जलित से भिन्न ताजी सब्जियां, फल, मांस और मछली।
2.	सामान्य नमक चाहे प्रसंस्कृत हो या अप्रसंस्कृत।
3.	ताजा दुग्ध और पशुचरीकृत दुग्ध परंतु इसमें संघनित और सूखा दुग्ध या विक्रय के लिए कर मुक्त माल से भिन्न किसी माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए जब कोई माल खरीदा गया हो सम्मिलित नहीं है।
4.	अंडे
5.	सादा पानी किंतु इसमें वातित पानी या खनिज जल या बोतलों में या बंद आधानों में बेचा गया जल सम्मिलित नहीं है।
6.	पुस्तकें, साप्ताहिक और जर्नलस।
7.	अनब्रांडिड ब्रेड।
8.	ताजा फूल।
9.	खंडसारी जिसके अंतर्गत ऐसी चीनी भी सम्मिलित है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में परिभाषित है किंतु इसके अंतर्गत सभी किस्म की आयातित चीनी नहीं है।
10.	कंडोमस और गर्भनिरोधक।
11.	दही, लस्सी और मखनी दुग्ध।
12.	प्लांटिंग सामग्री जैसे प्रमाणित बीज, बल्ब, सक्कर, नर्सरी के पौधे जो घास, फल और फूलों को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।
13.	विद्युत शक्ति।
14.	शीशे और प्लास्टिक की चूड़ियां।
15.	कुमकुम
16.	असुविधाग्रस्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली व्हील चेयर्स और बैसाखी।
17.	बहरे और गुंगे के लिए कृत्रिम अंग और श्रवण सहाय।

क्र. सं.	माल का वर्णन
18.	यथास्थिति गेहूं या धान जिसमें से ऐसा माल उपाप्त किए गए हैं के क्रय की बाबत अधिनियम के अधीन जहाँ कर का सदाय कर दिया गया हो, आटा, मैदा, सूजी और चावल का आटा।
19.	प्लास्टिक या काष्ठ जठित काम वाले काष्ठ दस्ताकारी।
20.	कृपाण।
21.	कुक्कुट खाना और पशुचारा जिसके अंतर्गत झींगा खाना भी है किन्तु पूरक भोजन को छोड़कर, पोषक खनिज मिश्रण, विटामिन औषधियों और अन्य प्रवर्ग के पूरक भोजन को छोड़कर जो कुक्कुट खाना, झींगा खाना और जीवित प्राणियों के लिए भोजन में प्रयुक्त होते हैं।
22.	गोबर गैस संयंत्र और उसके उपसाधन।
23.	नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार कृषि उपस्कर और उनके पुर्जे

(क) सामान्य कृषि उपस्कर

- (1) हाथ कुदाली या खुरपा
- (2) दराती
- (3) फावड़ा
- (4) बागुड़ी
- (5) हथ पहिया कुदाली
- (6) कृषि औजार जैसे बइडिंग ग्राफ्टिंग, चाकू, सैक्टोर, फ्रूनिंग, शीयर या हुक, हैज शीयर, प्रिंकलर, रैक।
- (7) स्प्रेयर, डस्टर और स्प्रेयर सह डस्टर।
- (8) सोइल इनजैक्टर।
- (9) जन्द्रा।
- (10) व्हील बैरो।
- (11) विनोविंग पंखा या विनोवर।
- (12) डिब्लर।
- (13) गंडासा।
- (14) पडलर।
- (15) उर्वरक बीज ब्रोडकासटर।
- (16) मेज सेलर।
- (17) मूंगफली डैकरोटीकेटर।
- (18) खाद या बीज स्क्रीन।
- (19) फलेम गन।
- (20) बीज ग्रेडर।
- (21) हाथ चालित चैफ कटर।
- (22) तलसा।
- (23) टांगली।

(ख) बल चालित कृषि उपस्कर

- (1) जुआ
- (2) हल
- (3) हैरो और उसके निम्नलिखित पुर्जे
 - 1 हैरो फ्रेम
 - 2 हैरो स्पूल
 - 3 हैरो एक्सल
 - 4 हैरो स्क्रेपर
 - 5 हैरो ड्रा बार

क्र. सं.	माल का वर्णन	लागू कर की दरें	क्र. सं.	माल का वर्णन
6	हैरो ड्वाबार "यू"		(i)	हैरो फ्रेम
7	हैरो कलैम्प		(ii)	हैरो स्पूल
8	हैरो हथ्था		(iii)	हैरो बुश
9	हैरो कलच		(iv)	हैरो सी आई नट और चक नट
10	हैरो पठाला		(v)	हैरो हब
(4)	कल्टीवेटर या त्रिफली		(vi)	हैरो एक्सल
(5)	सीड ड्रिल, उर्वरक ड्रिल बीज सह उर्वरक ड्रिल		(vii)	हैरो निपल बोल्ड
(6)	प्लांटर		(viii)	हैरो लाफ पत्ती
(7)	पलेंक या फ्लोट		(ix)	हैरो स्क्रेपर
(8)	लेबलर या स्कूप		(x)	हैरो ड्वा बार
(9)	राइजर		(xi)	हैरो ड्वा बार "यू"
(10)	डिचर		(xii)	हैरो कलैम्प
(11)	बंड फारमर		(xiii)	हैरो हथ्था
(12)	थ्रैसर और फाला		(xiv)	हैरो कलच
(13)	ट्रॉसप्लांटर		(xv)	हैरो पतनाल
(14)	शेफ कटर		(3)	कल्टीवेटर या टिग्लर या और उसके निम्नलिखित भाग :-
(15)	परशियस व्हील और बकेट चैन या वासर चैन		(i)	टिलर टाइनी संयोजन
(16)	कार्ट और इसके निम्नलिखित भाग :-		(ii)	टिलर टाइनी
(i)	ए डी वी रिम		(iii)	टिलर स्प्रिंग
(ii)	ए डी वी एक्सल		(iv)	कृषक शावल/फला
(iii)	ड्वा बार		(v)	कृषक टाइन असेम्बली
(iv)	हुक		(vi)	कृषक एकार पिन
(17)	रीफर		(vii)	कृषक टांगल असेम्बली
(18)	मूवर		(viii)	कृषक लिंक जोड
(19)	गन्ना क्रसर		(ix)	कृषक टाइन स्टाप
(20)	गन्ने के रस को उबालने की कढ़ाई और ग्रेटिंग		(x)	कृषक असेम्बली टूर बार
(21)	रोलर		(xi)	कृषक 3 तरफा जोड
(ग) ऊंट चालित गाड़ी			(xii)	कृषक वेष्टन पर्टी
(घ) ट्रेक्टर चालित कृषि उपस्कर			(xiii)	कृषक उंगिल ब्रैकेट
(1)	हल और इसके निम्नलिखित पुर्जे :-		(xiv)	कृषक टाइन असेम्बली
(i)	मोल्ड बोर्ड हल संयोजन		(4)	बीज प्रवेधन, उर्वरक प्रवेधन या बीज सह उर्वरक प्रवेधन और इसके निम्नलिखित भाग :-
(ii)	डिस्को प्लो कवर		(i)	बीज प्रवेधन टाइन
(iii)	डिस्क प्लो हब		(ii)	बीज प्रवेधन शावल/फला
(iv)	डिस्क प्लो व्हील		(iii)	बीज प्रवेधन गरी
(v)	डिस्क प्लो शूज		(iv)	बीज प्रवेधन प्रभरक (पिस्टल)
(vi)	डिस्क प्लो ब्रैकेट कैप		(v)	बीज प्रवेधन सूट
(vii)	डिस्क प्लो ब्रैकेटस		(vi)	बीज प्रवेधन हूपर असेम्बली
(viii)	डिस्क प्लो संयोजन सक्रेपर		(vii)	बीज प्रवेधन भू चक्र
(ix)	डिस्क प्लो ब्रैकेट सक्रेपर		5.	उर्वरक ब्रॉडकास्टर
(x)	डिस्क प्लो ब्रैकेट फूरो व्हील		6.	रोपित्र
(xi)	डिस्क प्लो संयोजन एक्सल		7.	प्लैंक या प्लव
(xii)	डिस्क प्लो स्प्रिंग कैप		8.	समतलित्र या उदगत और इसके निम्नलिखित भाग :-
(xiii)	डिस्क प्लो संयोजन स्पिंडल और डस्ट कैप		(i)	समतलित्र फ्रेम असेम्बली
(xiv)	डिस्क प्लो फूरो व्हील		(ii)	समतलित्र ब्लेड
(2)	हैरो और उसके निम्नलिखित भाग :-			

क्र. सं.	माल का वर्णन	लागू कर की दरें	क्र. सं.	माल का वर्णन
	(iii) समतलित्र मुख्य फ्रेम			
9.	ब्रंड फार्मर			स्वयं द्वारा उगाए गए या किसी ऐसी भूमि पर उगाए गए जिसमें वह स्वामी या अनपुक्वचूरी बंधक दार किरायेदार या अन्य रूप से हितबद्ध है, बेचा गया कृषि या उद्यान कृषि उत्पाद।
10.	रिजर और इसके निम्नलिखित भाग :—		25.	सेवारत सेना कार्मिकों और पूर्वे सैनिकों को सीधे केन्टीन भंडार विभाग द्वारा या प्राधिकृत केन्टीन ठेकेदारों की मार्फत या युनिट द्वारा चलाई जा रही केन्टीन की मार्फत बेचे गए सभी माल।
	(i) रिजर टाइन		26.	मदिरा और अन्य वस्तुएं, जब उन्हें भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्वामित्व वाली और उसके द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन, अमृतसर स्थित शुल्क मुक्त दुकान पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए बेचा जाए कि विक्रय के लिए संदेय विदेशी मुद्रा में किया जाएगा।
	(ii) रिजर शूज		27.	तंबाकू चाहे वह उपचारित, अनुपचारित या विनिर्मित हो और इसके सभी उत्पाद जिसमें बीडी, सिगरेट, सिंगार सम्मिलित है।
	(iii) रिजर शॉटल/फला		28.	पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड और राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के प्रवेश प्ररूप और प्रासपेक्टस।
11.	अनुयान और इसके निम्नलिखित भाग		29.	सूती, उंनी या रेशमी वस्त्रों की सभी किस्में, जिनमें रेशमी, कृत्रिम रेशम या नायलाय सम्मिलित हो चाहे वे हथकरवा या विद्युत करघा या अन्य रूप में विनिर्मित किए जाए किन्तु इनमें गलीचे, ड्रगेटस ऊनी वस्त्र और एक फिलामेन्ट की नीवार सम्मिलित नहीं है।
	(i) ए डी वी रिमे		30.	मद 29 के अधीन आने वाले वस्त्रों की ऐसी सभी किस्में जिन पर बुनाई और कढ़ाई का कार्य किया गया है।
	(ii) ए डी वी एक्सल		31.	केनवस कपड़े, तारपोलिन और अन्य सामान उत्पादों की सभी किस्में जिनका विनिर्माण कपड़े को आधार बना कर किया गया है, जैसा कि कपड़ा मिलों, विद्युत करघों कारखानों और प्रसंस्करण कारखानों में विनिर्माण किया जाता है।
	(iii) अनुयान झा बॉर		32.	चर्म कपड़ा और निम्नतर या अनुकृति चर्म वस्त्र जिसे सामान्यता : पुस्तकों की जिल्द बांधने (रबड़ीकृत) बुक बांधने के टिशु या संशिलिष्ट जलरोधी धागे में प्रयोग किया जाता है, चाहे वह एकल टेक्सचर्ड हो अथवा दोहरा टेक्सचर्ड हो और पुस्तकों की जिल्द बांधने वाला सूती कपड़ा।
	(iv) अनुयान हुक		33.	भारतीय रेडक्रास सोसाइटी और सेंट जोन एम्बूलेंस एसोसिएशन को बेचे गए सभी माल।
12.	आलोडित्र		34.	न्यायिक और गैर न्यायिक स्टाम्प, मानक वाटर मार्क याचिका कागज और लाटरी टिकट, एक अंकीय लाटरी टिकटों को छोड़कर जहां लाटरी टिकट के नम्बर में से एक अंक पर इनाम दिया जाता है।
13.	डिचर		35.	चारा (सूखा या हरा) खली और तेल निकली हुई खली को छोड़कर।
14.	पंजर चक्र		36.	स्वतंत्रता जयंती बैज।
15.	फुहारा, प्रधूलक या फुहारा सह सेटोवेटर		37.	समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र द्वारा उत्पादित ऐसा सभी माल जो इन केन्द्रों द्वारा स्वयं बेचा जाता है।
16.	बेलन		38.	रत्न और जवाहारात जब उन्हें विदेशी मुद्रा के बदले विदेशी पर्यटकों को बेचा जाए।
17.	कुदाल, धूर्णी कुदाल या रोटोवेअर			
18.	फसल कर्तक या धास कर्तक, सस्य कर्तक			
19.	आलू सस्य कर्तक या प्रचक्रक			
20.	मूंगफली डिगर शेकर			
21.	प्ररोपित्र			
	(इ) विद्युत उपकरण			
(1)	श्रेशर और इसके निम्नलिखित भाग :—			
	(i) श्रेशर भार चक्र			
	(ii) श्रेशर जाली			
	(iii) श्रेशर चालनी			
	(iv) श्रेशर "यू" शिकंजा और बीटर			
	(v) श्रेशर रोटर			
	(vi) श्रेशर ग्राउंड व्हील्स			
2.	कुट्टी कर्तक			
3.	मक्का शेलर			
4.	मूंगफली डीकोटीकेटर			
5.	बीज ग्रेडर			
6.	विनओठार			
7.	बीज उपचारक			
8.	विद्युत फुहारा या प्रधूलक			
9.	अपकेन्द्री पंप			
10.	कुक्कुट भोज्य वेषाणित्र और मिक्सर			
11.	प्ररोपित्र			
24.	किसी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा, उसके			

क्र. सं.	माल का वर्णन	क्र. सं.	माल का वर्णन
39.	फिलाटैलिक स्टाम्प।	59.	हिज होलिनेस दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट, अमृतसर के टिबितन बूलन यार्न सेंटर द्वारा तैयार की गई दस्त कारी की सभी वस्तुएं।
40.	बधाई पत्र, डायरियां और कलेंडर जब उन्हें यूनीसेफ और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ द्वारा बेचा जाए	60.	कारखाना अधिनियम, 1948 और पंजाब कारखाना नियम, 1952 के अधीन स्थापित कैंटीन के परिसर में कर्मकारों को बेची गई साहाय प्राप्त खाद्य वस्तुएं।
41.	पताशे, गोलियां, चिले, बूरा, मखाने, मरूडा, इलायची दाना, फुलियां, मुरमुरा और चावल राई।	61.	हड्डियां (कच्चा माल)
42.	शैक्षिक लेखन उपकरण अर्थात् स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्लेट, पेंसिल, चाक, क्रेयान, प्यामिति बाक्स, तख्तियां, ब्लैकबोर्ड, शार्पनर्स, इरेसर्स, फुटरूल्स, नोट बुक और ड्राईंग कापी बुक।	62.	चूरी (बैंड)
43.	धूप और अगरबत्ती।	63.	शहद, मधु मक्खी के छत्तों के बक्से तथा उसके साथ लगे उपस्कर, मधु मक्खी के छत्तों का मोम और पराग।
44.	स्ट्र कवर	64.	भूमि संरक्षण विभाग पंजाब द्वारा जारी इस आशय का, कि ये पाइपें उपभोक्ता, द्वारा पंजाब राज्य के भीतर भूमि के नीचे सिंचाई के प्रयोजनों में सद्भाव पूर्वक प्रयोग के लिए क्रय की गई है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए आर सी सी/पी वी सी पाइपें।
45.	कूथ	65.	कपड़े के प्रसंस्कर्ता द्वारा छपाई, रंगाई, विरंजित करना, या प्रसंस्करण करने के संबंध में ठेके पर कार्य के निष्पादन में प्रयुक्त सभी माल।
46.	कीकर छाल	66.	बेगासे और हरी घास से उत्पादित "वान" और "रस्सी"।
47.	सभी अनाजों की भूसी और दालें	67.	पेन और बाल पेन
48.	पैन	68.	नीचे यथा विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियां :—
49.	एक्स रे फोटो जब उन्हें तैयार करने वाले रेडियोलोजिस्ट द्वारा बेचा जाए।		एन तरल (फलुडस) :
50.	चरबी और इसके भाग		(1) 5% डेक्ट्रोस
51.	कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन।		(2) 5% डेक्ट्रोस सेलाइन
52.	जूतियां जब उन्हें ऐसी जूतियां बनाने वाले द्वारा स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा बेचा जाए; परंतु यह कि जूतियां बनाने वाला जूतियां बनाने के किसी प्रक्रम पर किसी बाहरी श्रमिक को नियोजित या विद्युत का प्रयोग नहीं करता।		(3) हेमासेल
53.	औद्योगिक सहकारिताओं द्वारा हथकरघा कपड़े से बनाए गए हस्त शिल्प और बने बनाए कपड़ों की सभी वस्तुएं जब उन्हें सरकारी एम्पोरियमों और पंजाब वीवर्स एपेक्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा बेचा जाए।		(4) रिन्जर लेकटेट
54.	देशी कोल्हूओं में, चाहे वे जानवर या मनुष्यों द्वारा चालित हो, सरसों तोरिआ और तिल से उत्पादित खाद्य तेल। जब उन्हें केवल ऐसे कोल्हूओं के स्वामी द्वारा बेचा जाए।		(5) मैनीटोल
55.	खाद्य वस्तुएं और पेय जत्र उन्हें रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर ऐसी चाय की दुकानों पर बेचा जाए, जिनके लिए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा ठेका दिया गया है।		एन्टीबायोटिक्स :
56.	भारतीय खाद्य निर्मितियों जिसमें तन्दूर वालों, ढाबेवालों और लोहा वालों द्वारा सामान्य रूप से तैयार की गई दही, लस्सी और चाय भी सम्मिलित है, जब उन्हें अनन्मय रूप से तन्दूर, ढाबा और लोहा चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा बेचा जाए।		(6) एम्पीसिलिन इंजेक्शन
57.	दवाइयां जब एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी और होम्योपैथिक के चिकित्सा प्रणालियों के ऐसे चिकित्सीय व्यवसायियों, जो औषधालयों के स्वामी के द्वारा, रोगियों को उनके स्वयं के औषधयन्त्र पर दवाइयां प्रदान करने के दौरान बेची जाएं।		(7) सी-पैनेसिलिन इंजेक्शन
58.	आम की गुठलियां और आम की गिरियां।		(8) सैफालोस्पोरिन्स इंजेक्शन
			(9) जेन्टा माइसिन इंजेक्शन
			(10) मैट्रोनिडाजोल इंजेक्शन
			वैसोप्रेसर्स :
			(11) डोपामाइन इंजेक्शन
			(12) एड्रेनालिन इंजेक्शन
			(13) इफेड्रिन इंजेक्शन
			एनलजेसिक्स (दर्द निवारक)
			(14) पैथीडीन इंजेक्शन
			(15) मोरफिन इंजेक्शन
			(16) पेंटाजूसिन इंजेक्शन

क्र. सं.	माल का वर्णन	लागू कर की दरें	क्र. सं.	माल का वर्णन
(17)	डियाजेपाम इंजेक्शन स्टीरोएड्स :		69.	बीयर, जब वह देसी शराब के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विक्रय की जाए।
(18)	डेक्सामेथासोन इंजेक्शन		70.	भारत में बनी 60 डिग्री प्रूफ की विदेशी शराब, जब वह देसी शराब के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा या उनको विक्रय की जाए।
(19)	डेक्सामेथासोन इंजेक्शन बेटा ब्कोकर्स		71.	पंजाब उत्पाद शुल्क मध परिभाषाएँ, 1951 के पैरा 2 के उप पैरा (2) में यथा परिभाषित विदेशी शराब के अलावा, वह सारा माल, जिस पर पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 या अफीम अधिनियम, 1878 के अन्तर्गत प्रविष्टि 69 के अधीन रहते हुए शुल्क उद्गृहीत किया जाता है या उद्गृहीत किया जा सकेगा”।
(20)	प्रोप्रानोलोन इंजेक्शन ब्रोन्कोडिलेटर्स :		4(1)	मूल अधिनियम की अनुसूची “ग” और “घ” में क्रमशः अधिसूचना सं. एस. ओ. 78/पी. ए. 16/18/
(21)	एमीनोफाइलिन इंजेक्शन			अनुसूची “ग” और
(22)	डेरीफाइलिन इंजेक्शन			एस. 31/संशोधन/99, तारीख 15
(23)	पैरासिटामोल इंजेक्शन एन्टीपाइरेक्सटिक्स			अक्टूबर, 1999 और अधिसूचना
(24)	एन्टीऑमेटिक : मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शन			सं. एस.ओ. 69 पी.ए 16/18/एस
(25)	फिनरगन इंजेक्शन एन्टीएलर्जिक :			5 / संशोधन/99, तारीख, 15
(26)	क्लोरोफिनेरामाइन मिलेट इंजेक्शन हृदय रोग विज्ञान :			अक्टूबर, 1999 द्वारा किये गये
(27)	स्ट्रेप्टोकिनेस इंजेक्शन			संशोधनों को 28 अक्टूबर, 1998
(28)	नाइप्रोफ्रूसाईड इंजेक्शन			को आरंभ होने वाली अवधि और
(29)	जाइलोकार्ड इंजेक्शन			14 अक्टूबर, 1999 को समाप्त होने
(30)	निफेडीपाईन कैप्सूल स्त्री रोग विज्ञान :			वाली अवधि के दौरान प्रवृत्त हुआ
(31)	पिटोसिन इंजेक्शन			समझा जाएगा।
(32)	मैथरीजन इंजेक्शन			(2) किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा किये गए
(33)	मैगनेशियम सल्फेट इंजेक्शन अपस्मार निरोधक (एन्टीऐपिलैप्सी) :			किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए
(34)	जेनीटाएन इंजेक्शन			भी किसी भी कर को जिसे 20 अक्टूबर, 1998 को आरंभ
(35)	फेनेबार्लिटोन इंजेक्शन			होने वाली अवधि और 14 अक्टूबर, 1999 को समाप्त होने
प्रकीर्ण :				वाली अवधि के दौरान मूल अधिनियम की अनुसूची “घ”
(36)	पी ए एम इंजेक्शन			के स्तम्भ 2 के अन्तर्गत क्रम संख्यांक 3 के सामने यथा
(37)	सांप का जहर			विनिर्दिष्ट तिलहन के विक्रय के प्रथम प्रक्रम में उद्गृहीत
(38)	क्रोमोस्टैड इंजेक्शन			किया गया हो या एकत्रित किया गया हो या उद्गृहीत किया
(39)	ओ आर एस			जाना एकत्रित किया जाना तात्पर्यित हो, सभी प्रयोजनों के
(40)	इंसुलिन (प्लेन) इंजेक्शन			लिए विधि के अनुसार ही उद्गृहीत या एकत्रित किया गया
(41)	नीथामाईड इंजेक्शन			या हमेशा से विधि के अनुसार ही उद्गृहीत या एकत्रित
(42)	लासिक्स इंजेक्शन			किया गया ऐसे समझा जाएगा जैसे कि अधिसूचना एस.ओ.
(43)	सोडा बाईकार्बोनेट इंजेक्शन			78/पी.ए. 46/48/एस. 31/संशोधन 99, तारीख और
(44)	कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन			अधिसूचना सं. एस.ओ./69/पी.ए. 46/48/एस 5/संशोधन/
(45)	पोटाशियम क्लोराइड इंजेक्शन			99, तारीख 15 अक्टूबर, 1999, उपरोक्त अवधि के दौरान
(46)	ऐट्रोपाईन इंजेक्शन			भी प्रवृत्त थी, और तदनुसार :—
				(क) इस तरह संदत्त किसी भी प्रकार के कर के प्रतिदाय
				के लिए किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद या
				अन्य कार्यवाही न तो चलाई जाएगी न ही जारी रखी
				जाएगी;

- (ख) कोई भी न्यायालय कोई ऐसी डिक्री या आदेश लागू नहीं करेगा जिसमें इस तरह संदत्त किसी भी प्रकार के कर के प्रतिदाय के लिए निदेश हो;
- (ग) किसी भी कर को, जिसे 20 अक्टूबर, 1998 को आरंभ होने वाली अवधि और 14 अक्टूबर, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मूल अधिनियम की अनुसूची "घ" के स्तम्भ 2 के अन्तर्गत क्रम सं. 3 के सामने यथा विनिर्दिष्ट तिलहन के विक्रय के प्रथम प्रक्रम में उद्गृहीत किया गया हो या उद्गृहीत किया जाना तात्पर्यित हो, किन्तु वह एकत्रित न किया गया हो, मूल अधिनियम में उपबंधित रीति से वसूल किया जा सकेगा; और
- (घ) किसी भी कर को, जो 28 अक्टूबर, 1998 को आरंभ होने वाली अवधि और 14 अक्टूबर, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मूल अधिनियम की अनुसूची "घ" के स्तम्भ 2 के अन्तर्गत क्रम सं. 3 के सामने यथा विनिर्दिष्ट तिलहन के विक्रय के प्रथम प्रक्रम में देय हो, किन्तु उसे निर्धारित या उद्गृहीत न किया गया हो, मूल अधिनियम में उपबंधित परिसीमा की अवधि के होते हुए भी, मूल अधिनियम में उपबंधित रीति से निर्धारित या उद्गृहीत और एकत्रित किया जा सकेगा।
- (3) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) में किसी भी बात का अर्थ किसी व्यक्ति को निम्नलिखित कार्य करने से रोकने के लिए नहीं लगाया जाएगा—
- (क) मूल अधिनियम के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार ऐसे कर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण पर प्रश्न करने से; या
- (ख) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा देय राशि से अधिक कोई कर संदत्त किये जाने पर ऐसी अधिक राशि वापिस लिये जाने के लिए दावा करने से।
- निरसन और व्यावृति 5(1) पंजाब साधारण विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का पंजाब अध्यादेश सं. 2), पंजाब साधारण विक्रय कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का पंजाब अध्यादेश सं. 3) और पंजाब साधारण विक्रय कर (तीसरा संशोधन और विधि मान्यकरण) अध्यादेश, 2000 (2000 का पंजाब अध्यादेश सं. 5) को निरस्त किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन में किसी बात के होते हुए भी, उप धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या संशोधित मूल अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्य किये जाने या कोई कार्यवाही किये जाने को इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अन्तर्गत किया जाना समझा जाएगा।

एस. एस. ग्रेवाल
सचिव, पंजाब सरकार
विधि और विधायी कार्य विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2000

G.S.R. 570(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966) the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, The Punjab General Sales Tax (Second Amendment and Validation) Act, 2000, (Punjab Act No. 7 of 2000) as in force in the State of Punjab on the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

Modifications

1. Throughout the Act, for the words "State Government", wherever they occur, the word "Administrator" shall be substituted.

2. In Section 1,—

(i) in sub-section (1) for the words, brackets and figures "the Punjab General Sales Tax (Second Amendment and Validation) Act, 2000", the words, brackets and figures "the Punjab General Sales Tax (Second Amendment and Validation) Act, 2000 as extended to the Union Territory of Chandigarh", shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) It shall come into force at once.";

(iii) in sub-section (2), in clause (b), sub-clauses (ii) and (iii) shall be omitted.

3. Sections 4 and 5 shall be omitted.

[F. No. U-11015/5/2000-UTL (201)]
P. K. JALALI, Jt. Secy.

ANNEXURE

PART I

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE
AFFAIRS,
PUNJAB

NOTIFICATION

The 10th April, 2000

No. 13-Leg/2000.—The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 6th April, 2000, and is hereby published for general information :—

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (SECOND
AMENDMENT) AND VALIDATION ACT, 2000

(Punjab Act No. 7 of 2000)

AN

ACT

further to amend the Punjab General Sales Tax Act,
1948

Be it enacted by the Legislative of the State of Punjab in the Fifty-one Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Second Amendment and Validation) Act, 2000.

(2) (a) Section 2 of this Act shall be deemed to have come into force on and with effect from the 1st day of April, 1999;

(b) (i) Section 3 of this Act shall come into force at once, but in respect of the goods specified in items 11 and 26 under Category IV, item 5 under Category IX and item 4 and 5 under Category X of Schedule 'A' appended to the Act, it shall come into force from such date as the State Government may, specify by notification, and till notification is issued, the tax in respect of these goods shall be levied at the rates specified in Category XI of Schedule 'A';

(ii) The rate of tax on goods specified in item 56 under category IX of schedule 'A' appended to the Act shall remain in force upto the 31st day of March, 2000, and thereafter the rate of tax on these goods shall be as specified under Category X of Schedule 'A';

(iii) The goods specified in items 69, 70 and 71 of Schedule 'B' appended to the Act, shall remain tax free goods upto the 31st day of March, 2000, and thereafter the rate of tax on these goods shall be as specified under Category X of Schedule 'A'.

Amendment of section 4 of Punjab Act 46 of 1948.

2. In the Punjab General Sales Tax Act, 1948 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 4, in sub-section (5),—

- (i) in clause (bb), for the words and sign "restaurant", the words and signs "restaurant, halwai shop, bakery" shall be substituted;
- (ii) clause (bbb) shall be omitted; and
- (iii) in clause (c), for the brackets, letters, sign and words "(b) (bb) and (bbb)", the brackets, letters and words "(b) and (bb)" shall be substituted.

Amendment of section 5 of Punjab Act 46, of 1948

3. In the principal Act,—

(A) in section 5, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

["(1) Subject to the provisions of this Act, there shall be levied on the taxable turnover of a dealer, a tax at the rate not exceeding twenty paise in a rupee, as the State Government may specify by notification from time to time:]

Provided that the rate of tax on the goods as categorised in Schedule 'A' shall be such, as has been

specified for those goods in this Schedule. The State Government after giving by notification, not less than ten days notice of its intention so to do, may by like notification, add to or delete from this Schedule, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly :

Provided further that if the State Government is satisfied that circumstances exist, which render it necessary to take immediate action, it may dispense with the condition of previous publication :

Provided further that the rate of tax shall not exceed four paise in a rupee in respect of any declared goods.

Explanation—The amount of tax shall be calculated to the nearest rupee by ignoring fifty paise or less and counting more than fifty paise as one rupee."

Substitution of section 6 of Punjab Act 46 of 1948.

(B) for section 6, the following section shall be substituted, namely :—

"6. No tax shall be payable on the sale of goods specified in Schedule 'B' to the conditions specified therein :

Tax free goods.

Provided that the State Government after giving by notification, not less than ten days, notice of its intention so to do may by like notification, add to or delete from this Schedule, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly .

Provided further that if the State Government is satisfied that circumstances exist, which render it necessary to take immediate action, it may dispense with the condition of previous publications."

(C) for the existing Schedule 'A' and 'B' the following Schedules shall, respectively, be substituted, namely :—

"SCHEDULE 'A'

[See Section 5(1)]

Sr. No.	Description of goods
------------	----------------------

CATEGORY-I

GOODS TAXABLE AT THE RATE OF ONE PER CENT

1	Bullion and specifiers
---	------------------------

Sr. No.	Description of goods
CATEGORY-II	
GOODS TAXABLE AT THE RATE OF TWO PER CENT	
1	Ornaments and jewellery other than ornaments and jewellery containing precious or semi-precious or artificial semi-precious stones.
CATEGORY-III	
GOODS TAXABLE AT THE RATE OF THREE PER CENT	
1	Pulses, that is to say, malika masor and its dal, dried peas and its dal, rawan, white, rajmanh, rongi (red and white), dal lobia, dal kulth, lobia, kangni, swank, soyabeans, gowara, harwan, gram and its dal, gram flour (besan) urad and its dal, moong and its dal, moth and its dal, tur (arhar) and its dal.
2	Sports goods;
CATEGORY-IV	
GOODS TAXABLE AT THE RATE OF FOUR PER CENT	
1	Declared goods are specified in section 11 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956).
2	Karyana items, that is to say—ajwain; black pepper, clove candamam, coriander seeds, cinnamon, cumin seeds, chat masala, chana masala, fenugreek, garam masala, mustard seeds (rai), meat masala, pomegranate seeds, turmeric, fennel (sounf), cimblic, myrobalan (amla), ampapad, dry mango, peels (amchur kuta and powder), psyllium seeds (isubgoal), big cardmom (ilachi doda), tamarind (imli), anab, Kal'aunji (Kalawanji), Kali zeeri, Kamarkas gond katira and other goods; darau, water chest nuts (singhara), chaksu, charonji, mace (javitri), nutmegs. (jaifal), bay leaf (tejpatra), hallon (asalis halam), long pepper (pipal maggan), poppy seeds (khaskhas), wild violet (banafsha), baleric myrobalans (behra), chebilib, myrobalans (harrat), majith hemma (mehndi), magaz kheera, magaz tarbuj, magaz, kaddu, magaz, kharbooja, shikkakai, dry ginger (sund), seal sago (sabudana), betel nuts (supari), shora, dill seeds (soye), asafeotida (hing), rattanjot licorice (malathi), nashadar thikri, nashadar powder, nashadar tikki, fatcari, musk kapur, kol dodda, phool makhana, sat nimboo, guggal, fenngreek leaves (methi pattas), degi mirch (kashmiri mirch).
3.	Vanaspati ghee.
4.	Readymade garments excluding garments of leather, fur and silk.
5.	Chemical fertilizers.
6.	Pesticides, weedicides, fungicides, herbicides and insecticides.
7.	Packing materials i.e. gunny bags, HDPE bags and

Sr. No.	Description of goods
	packs, corrugated and wooden boxes, plastic and tin containers including barrels, cardboard boxes, thermocol packs used for packing only.
8.	Hosiery goods.
9.	Oil cake and de-oiled cakes.
10.	Safety matches
11.	Yarn of all types including knitting wool, raw wool and waste thereof
12.	Fibre, wool top and thread of all kinds and waste thereof.
13.	Unprocessed cereals including paddy and wheat.
14.	Sugar imported from abroad
15.	Gur, jaggery and shakker
16.	Harvest combine and parts thereof.
17.	Tractor and tractor attachments and parts thereof.
18.	Milk when purchased for use in the manufacture of any goods other than tax free goods for sale.
19.	Oil seeds as specified in clause (vi) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.
20.	Dry fruits
21.	Rubber chappals and canvas shoes
22.	Utensils made of stainless and aluminium
23.	Processed vegetables, fish and meat when sold in sealed containers
24.	All goods, other than those specified in Schedule 'B', when used in the manufacture of goods not sold within the State of Punjab or in the course of inter State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India and when acquired within the State of Punjab but neither sold as such in the State of Punjab nor sold as such in the course of export out of territory of India.
25.	Goods sold to Government of India or any State Government except where the rate of tax is lower than 4% subject to production of a certificate in the following form —

CERTIFICATE

(To be used when purchase is made by the Government of India or any State Government)

Original	Duplicate
Name of issuing department—(whether of a State Government or Government of India)	Name of issuing department—(whether of a State Government or Government of India)
Name and address of—	Name and address of—

Original	Duplicate
office of issue.	office of issue.
To _____ (seller)	To _____ (seller)
Certified that the goods ordered for in our purchase order No. _____ dated _____ purchased from you as per bill/case memo. stated below.	Certified that the goods ordered for in our purchase order No. _____ dated _____ purchased from you as per bill/cash memo stated below.
Supplied under your challan No. _____ dated _____ are purchased by or on behalf of the Department.	Supplied under your challan No. _____ dated _____ as purchased by or on behalf of the Department.
Signature _____	Signature _____
Designation of the authorised Officer of the Department Dated _____	Designation of the authorised Officer of the Department. Dated _____
Seal of the authorised officer of the department Dated _____	Seal of the authorised officer of the department. Dated _____
*Particulars of bill/cash memo. Date _____ No. _____ Amount _____	*Particulars of bill/cash memo. Date _____ No. _____ Amount _____
(Note : To be furnished by the selling dealer)	(Note : To be retained by the purchasing Government Department)

Sr. No.	Description of goods
26	Industrial inputs purchased by the industrial units registered under the Act for use by them in the manufacture of taxable goods for sale : (a) Non-ferrous metals, namely, sulphur, zinc and aluminium; (b) belting; (c) chemicals, namely barytes, hydrogen peroxide, silicon, carbide, lime, caustic soda, ferro silicon and naphtha; (d) bearings; (e) dyes; (f) ferro alloys and super alloys; (g) refractory bricks; . (h) polystyrene; and (i) transformer.

CATEGORY-V

GOODS TAXABLE AT THE RATE OF FIVE PER CENT

- 1 Motor vehicles including accessories and parts thereof but excluding tractors and harvest combines and their parts and attachments.
- 2 Halwai goods.

Sr. No.	Description of goods
---------	----------------------

CATEGORY-VI

GOODS TAXABLE AT THE RATE OF SIX PER CENT

- 1 Edible oils.
- 2 Bicycles including their parts and accessories.
- 3 Achars, chatnees, papad and warian.,

CATEGORY-VII

GOODS TAXABLE AT THE RATE OF EIGHT PER CENT

- 1 Goods not specified elsewhere.

CATEGORY-VIII

GOODS TAXABLE AT THE RATE OF TEN PER CENT

- 1 Cooking gas.

CATEGORY-IX

GOODS TAXABLE AT THE RATE OF TWELVE PER CENT

1. Weather proofing compounds.
2. Fire works including coloured matches.
3. Furs and skins with fur and articles of personal and domestic use made from furs.
4. Lifts, escalators and elevators and component parts, spare parts and accessories thereof.
5. Diesel oil.
6. Marble, marble tiles and granite.
7. Sandalwood and its oil.
8. Sound transmitting equipment including telephones, loud speakers and parts thereof.
9. Typewriters and duplicating machines and parts thereof.
10. Cutlery.
11. Silk, silk fabrics and garments made thereof.
12. Vacuum cleaner including its parts and accessories thereof.
13. TVs, VCRs including their parts and accessories thereof.
14. Teleprinters.
15. Transformers.
16. Transmission wires and towers.
17. Voltage stabilisers including their parts and accessories thereof.
18. Washing machines including their parts and accessories thereof.

Sr.No.	Description of goods	Sr.No.	Description of goods
19.	Wireless reception instruments and apparatus including radios and radio-garmophones and spare parts and accessories thereof and electric valves, accumulators, amplifiers, loudspeakers and spare parts and accessories thereof.	42.	Refrigerators, air-conditioning plants and component parts and accessories thereof
20.	Air Conditioners including parts and accessories thereof.	43.	Clocks, time-pieces and watches and parts thereof.
21.	Arms and ammunition except "Kirpan".	44.	Dictaphone and parts thereof.
22.	Stainless steel articles excluding utensils, razor blades and surgical instruments.	45.	Binoculars, telescopes and opera glasses.
23.	Carpets.	46.	Gramophones and component parts thereof and records.
24.	Cushions, pillows, mattresses, sheets and other articles made of rubber or foam rubber or plastic foam or other synthetic foam or rubberised coir.	47.	Vacuum flasks of all kinds including thermos. thermic jugs, ice buckets or boxes, urns and domestic receptacles to keep food or beverages hot or cold and refills thereof
25.	Electronic toys and games.	48.	Sanitary goods and fittings.
26.	Leather goods excluding sports goods and footwear.	49.	Preserved food articles including all kinds of fruits, fruit juices and drinks, squashes, cordials, syrups, ketchup, jams, pickles, murrabba and chatni when sold in packed and preserved form.
27.	Musical instruments.	50.	Picnic sets.
28.	Calculating machines and tabulating machines.	51.	All tiles including mosaic tiles but excluding roofing tiles.
29.	Cigarette cases and lighters.	52.	Perambulators.
30.	Cinematographic equipments including cameras, projectors and sound recording and reproducing equipments, lenses, films and parts and accessories required for use therewith but excluding photographic cameras and enlargers, lenses, films and plates, papers and cloth and other parts and accessories required for use therewith.	53.	Celluloid, bakelite goods and goods of similar substance except toys for children and plastic footwear.
31.	Glassware, glazedware and chinaware but excluding bangles and crockery.	54.	Aeronautics including aeroplanes, ground equipments, their component parts, spare parts and accessories thereof including tyres and tubes required for such aeroplanes.
32.	Naptha.	55.	Single digit lottery tickets where a prize is provided on any single digit occurring in the number of the lottery tickets.
33.	Spark plugs.	56.	Foreign liquor as defined in sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Punjab Excise Liquor Definitions 1954.
34.	Rubber goods except footwear.		
35.	Cosmetics, toilet goods including perfumes, scents, deodorants, scented hair oils, hair tonics, hair dyes, shampoos, soaps but excluding toothbrush, toothpaste, toothpowder, kum kum, detergents and washing soaps.		
36.	Adhesives of all types including adhesive tape, cellophane tape and glue.		
37.	PVC articles.		
38.	Asphaltic roofings.		
39.	Laminated sheets including sun-mica sheets and formica sheets of all types.		
40.	Industrial gases including oxygen, nitrogen, acetylene gas, burners and other equipments and accessories for use therewith but excluding therapeutic gases.		
41.	ACSR conductors.		

CATEGORY-X**GOODS TAXABLE AT THE RATE OF TWENTY PER CENT**

1. Aerated water including soft drinks.
2. Narcotics.
3. Petroleum products including aviation turbine fuel and kerosence but excluding diesel and cooking gas.
4. Mobil oil and lubricants.
5. Molasses.
6. Liquor of all kinds, foreign liquor as defined in sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Punjab Excise liquor definitions, 1954.
7. Rectified spirit.

CATEGORY-XI

Sr.No.	Description of goods	Rates of tax applicable
1	Diesel oil	8%
2	Mobile oil and lubricants	8%
3	Molasses	8%
4	Yarn of all types including knitting wool and raw wool	2%
5	Liquor except foreign liquor as defined in sub-paragraph (2) of paragraph 2 of Punjab Excise Liquor Definitions, 1954	Nil
6	Rectified spirit	Nil.
7	Industrial inputs as specified at item 26 under Category IV of Schedule 'A'	As applicable under the existing provisions of the Act or the rules made thereunder

SCHEDULE 'B'

(See section 6)

GOODS EXEMPTED FROM TAX

Sr No	Description of goods
1	Fresh vegetables, fruits, meat and fish other than canned, cooked, preserved, processed, dried, dehydrated except when sold in sealed containers.
2	Common Salt whether processed or unprocessed.
3	Fresh milk and pasturized milk but not including condensed and dried milk or when purchased for use in the manufacture of any goods other than tax free goods for sale
4	Eggs
5	Plain water but not including aerated water or mineral water or water sold in bottles or sealed containers.
6	Books, periodicals and journals.
7	Unbranded bread.
8	Fresh Flowers.
9	Khandsari including sugar as defined in Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) but not including imported sugar in all forms.
10	Condoms and contraceptives.
11	Curd, Lassi and butter milk.
12	Planting materials, that is to say, certified seeds, bulbs, suckers, nursery plants used for raising grass, fruits and flowers
13	Electric energy
14	Glass and plastic bangles.
15	Kum-kum.
16	Wheel chairs and crutches used by handicapped persons
17	Artificial limbs and hearing aids for the deaf and dumb.

Sr.No.	Description of goods
18.	Atta, maida, suji and rice flour where the tax has been paid under the Act in respect of purchase of wheat or paddy as the case may be, out of which such goods have been procured.
19.	Wooden handicrafts with plastic or wood inlaid work.
20	Kirpan.
21.	Poultry feed and cattle feed including prawn feed but excluding feed supplements, nutrients, mineral mixture, vitamins, medicines and other category of feed supplements, which are used in poultry feed, prawn feed and feed for livestock.
22.	Gobar gas plants and its accessories.
23	Agriculture implements and parts thereof as per details given below —

(A) ORDINARY AGRICULTURAL IMPLEMENTS

- (1) Hand hoe or Khurpa
- (2) Sickle
- (3) Spade
- (4) Baguri
- (5) Hand-wheel hoe.
- (6) Horticultural tools like budding, grafting knife, secateur, pruning, shear or hook, hedge shear, sprinkler, rake.
- (7) Sprayer, duster and sprayer-cum duster
- (8) Soil injector.
- (9) Jandra.
- (10) Wheel barrow.
- (11) Winnowing fan or winnower.
- (12) Dibbler.
- (13) Gandasa.
- (14) Puddler.
- (15) Fertilizer seed broadcaster.
- (16) Maize sheller.
- (17) Grounut dicorticator.
- (18) Manure or seed screen.
- (19) Flame gun.
- (20) Seed gradeer.
- (21) Hand-driven chaff-cutters
- (22) Tasla.
- (23) Tangli.

(B) BULLOCK DRAWN AGRICULTURAL IMPLEMENTS

- (1) Yoke
- (2) Plough
- (3) Harrow and its following parts :—
 - (i) Harrow frame
 - (ii) Harrow spool
 - (iii) Harrow axle
 - (iv) Harrow scrappers

Sr.No.	Description of goods	Sr.No.	Description of goods
(v)	Harrow draw bar	(i)	Harrow frame
(vi)	Harrow draw bar "U"	(ii)	Harrow spool
(vii)	Harrow Clamp	(iii)	Harrow bush
(viii)	Harrow handle	(iv)	Harrow C.I. nut and chunk nut
(ix)	Harrow clutch	(v)	Harrow hub
(x)	Harrow pathala.	(vi)	Harrow axle
(4)	Cultivator or triphali	(vii)	Harrow nipple bolt
(5)	Seed drill, fertilizer drill, seed-cum-fertilizer drill.	(viii)	Harrow lock patti
(6)	Planter	(ix)	Harrow scrapper
(7)	Plank or float	(x)	Harrow draw bar
(8)	Leveller or scoop	(xi)	Harrow draw bar "U"
(9)	Ridger	(xii)	Harrow clamp
(10)	Ditcher	(xiii)	Harrow handle
(11)	Bund former	(xiv)	Harrow clutch
(12)	Thrasher or phalla	(xv)	Harrow patnals.
(13)	Transplanter	(3)	Cultivator or tiller and its following parts :—
(14)	Chaffcutter	(i)	Tiller tyne assembly
(15)	Persian wheel and bucket chain or washer chain.	(ii)	Tiller tyne
(16)	Cart and its following parts:—	(iii)	Tiller Spring
(i)	ADV rims	(iv)	Tiller Shovel/phalla
(ii)	ADV axle	(v)	Tiller type assembly
(iii)	Draw bar	(vi)	Tiller achor pin
(iv)	Hook	(vii)	Tiller toggle assembly
(17)	Reaper	(viii)	Tiller link pin
(18)	Mower	(ix)	Tiller tyne stop.
(19)	Sugarcane crusher	(x)	Tiller assembly tool bar
(20)	Cane juice boiling pan and grating	(xi)	Tiller 3 point linkage
(21)	Roller	(xii)	Tiller twist patti
	(C) CAMEL DRAWN CART	(xiii)	Tiller angle bracket
	(D) TRACTOR DRAWN AGRICULTURAL IMPLEMENTS	(xiv)	Tiller tyne assembly.
(1)	Plough and its following parts :—	(4)	Seed drill, fertiliser drill or seed-cum-fertiliser drill and its following parts :—
(i)	Mould board plough assembly	(i)	Seed drill tyne
(ii)	Disc plough covers	(ii)	Seed drill shovel/phalla
(iii)	Disc plough hubs	(iii)	Seed drill gari
(iv)	Disc plough wheels	(iv)	Seed drill feeder (pistol)
(v)	Disc plough shoes	(v)	Seed drill soout
(vi)	Disc plough brackets cap	(vi)	Seed drill hopper assembly
(vii)	Disc plough brackets	(vii)	Seed drill ground wheel.
(viii)	Disc plough assembly scrapper	(5)	Fertiliser broadcaster
(ix)	Disc plough bracket scrapper	(6)	Planter
(x)	Disc plough bracket furrow wheel	(7)	Plank or float
(xi)	Disc plough bracket assemble axle	(8)	Leveller or scoop and its following parts :—
(xii)	Disc plough Set cap	(i)	Leveller frame assembly
(xiii)	Disc plough assembly spindle and dust cap	(ii)	Leveller blade
(xiv)	Disc plough furrow wheel.	(iii)	Leveller main frame.
(2)	Harrow and its following parts :—	(9)	Bund former
		(10)	Ridger and its following parts :—

Sr. No.	Description of Goods	Sr. No.	Description of Goods.
(i)	Ridger tyne	27.	Tobacco whether cured, uncured or manufactured and all its products including bidis, cigarettes, cigars.
(ii)	Ridger shoes	28.	Admission forms and prospectuses of Punjab School Education Board and of the Universities in the State.
(iii)	Ridger shovels/phalla.	29.	All varieties of cotton, woollen or silken textiles, including rayon, artificial silk or nylon whether manufactured by handloom or powerloom or otherwise but not including carpets, druggets, woollen dress and monofilament niwar.
(11)	Trailer and its following parts :—	30.	All varieties of textiles covered by item 29 on which knitting and embroidery work has been done.
(i)	ADV rims	31.	Such varieties of canvas cloth, tarpaulins and similar other products, manufactured with cloth as base as are manufactured in textile mills, powerloom factories and processing factories.
(ii)	ADV axles	32.	Leather cloth and inferior or imitation leather cloth ordinarily used in book binding (rubberised) tissue or synthetic waterproof fabric whether single textured or double textured and book binding cotton fabrics
(iii)	Trailer draw bar	33.	All goods sold to the Indian Red Cross Society and St. John Ambulance Association.
(iv)	Trailer hook	34.	Judicial and non-judicial stamps, standard water-marked petition papers and lottery tickets except single digit lottery tickets where a prize is provided on any single digit occurring in the number of the lottery tickets
(12)	Puddler	35.	Fodder (dry or green) except oil cakes and de-oiled cakes.
(13)	Ditcher	36.	Independence jayanti badges.
(14)	Cage wheel	37.	All goods produced by training-cum-production centre run by the Social Welfare Department which are sold by these centres themselves.
(15)	Sprayer, duster or sprayer-cum-rotovator	38.	Gems and jewellery when sold to foreign tourists against foreign currency.
(16)	Roller	39.	Philatelic stamps.
(17)	Hoe, rotary hoe or rotovator	40.	Greeting cards, diaries and calendars when sold by UNICEF and WWF.
(18)	Reaper or mower, harvester	41.	Patasñās, golies, chirwas, boora, makhana, marunda, ilachidana, phullian, murmura and rice layee.
(19)	Potato harvester or spinner	42.	Educational writing instruments, that is to say, slates, pencils, chalks, crayons, geometry boxes, takhties, black ink used for takhties, blackboards, sharpners, erasers, footrules, notebooks and drawing copy books used by students in schools
(20)	Groundnut digger shaker	43.	Dhoop and agarbatties.
(21)	Transplanter		
	(E) POWER IMPLEMENTS		
(1)	Thrasher and its following parts :—		
(i)	Thrasher weight wheels		
(ii)	Thrasher jali		
(iii)	Thrasher sieve set		
(iv)	Thrasher 'U' clamp and beater		
(v)	Thrasher rotor		
(vi)	Thrasher ground wheels		
(2)	Chaff-cutter		
(3)	Maize sheller		
(4)	Groundnut decorticator		
(5)	Seed grader		
(6)	Winnower		
(7)	Seed treater		
(8)	Power Sprayer or duster		
(9)	Centrifugal pumps		
(10)	Poultry feed grinder and mixer		
(11)	Transplanter.		
24.	Agricultural or horticultural produce sold by a person or a member of his family grown by himself or grown on any land in which he has an interest whether as owner or unfructuary mortgagee, tenant or otherwise.		
25.	All goods sold to the serving military personnel and Ex-servicemen by the Canteen Stores Department direct or through the authorised canteen contractors or through unit run canteen.		
26.	Liquor and other articles when sold at the duty-free shop at the International Airport, Amritsar owned and operated by the Indian tourism Development Corporation Ltd., subject to the condition that the sales are paid for in foreign exchange.		

Sr. No.	Description of Goods	Sr. No.	Description of Goods
44.	Straw covers.		Conservation Punjab to the effect that these pipes have been purchased by the consumer for bonafide use in underground irrigation purposes within the State of Punjab
45.	Kuth.		
46.	Kiker bark.		
47.	Husk of all foodgrains and pulses.		
48.	Pan.	65	All goods consumed in the execution of a works contract pertaining to printing, dyeing, bleaching or processing by the processor of cloth.
49.	X-Ray photographs when sold by radiologists preparing them.	66	'Vaan' and 'Rassi' produced from baggasse and green grass
50.	Spinning wheel (charkha) and its parts.	67	Pens and ball pens
51.	Earthenware made by Kumhar.	68	Life saving drugs as specified below —
52.	Country made shoes (Jooties) when sold by the makers of such shoes himself or any other member of his family; provided that the maker does not employ any outside labour or use power at any stage for making the shoes.		N Fluids.
53.	All articles of handicrafts and readymade garments made out of handloom cloth by the Industrial Co-operatives when sold through Government Emporia and the Sales Depots of the Punjab Weavers Apex Co-operative Society Limited		(1) 5% Dextrose
54.	Edible oils produced from sarson, toria and til in indigenous 'kohlus' whether worked by animals or human beings and the same is sold by the owners of such 'Kohlus' only.		(2) 5% Dextrose saline
55.	Eatables and drinks when sold at such tea stalls within the premises of a Railway Station as are run or for which contracts have been given by the Railway Authorities.		(3) Haemacel
56.	Indian food preparations including dahi, lassi and tea ordinarily prepared by Tandoorwalas, Dhabawalas and Lohawalas and when sold by the persons running Tandoors, Dhabas and Lohas exclusively.		(4) Ringer lactate
57.	Medicines when sold by medical practitioners of Allopathic, Ayurvedic and Unani and Homoeopathic systems of medicine, owning dispensaries in the course of dispensing medicines to their patients on their own prescriptions		(5) Mannitol
58.	Mango stones and mango kernels.		Antibiotics
59.	All articles of handicrafts prepared by the Tibetans Woollen Yarn Centre of His Holiness the Dala Lama's Charitable Trust, Amritsar.		(6) Inj Ampicillin
60.	Subsidised articles of food sold to workers within the premises of a canteen established under the Factories Act, 1918 and the Punjab Factory Rules, 1952.		(7) Inj C-Pencillin
61.	Bones (raw material)		(8) Inj. Cephalosporins
62.	Churn (wand)		(9) Inj. Gentamicin
63.	Honey, bee-hive boxes alongwith attached equipments, bee-hive wax and pollen		(10) Inj. Metronidazole.
64.	RCC/PVC pipes subject to furnishing of a certificate issued by the Department of Soil		Vasopressors:
			(11) Inj. Dopamine
			(12) Inj. Adrenalin
			(13) Inj. Ephedrine.
			Analgesics (Pain Killers).
			(14) Inj Pethidine
			(15) Inj. Morphine
			(16) Inj Pentazoocine
			(17) Inj Diazepam
			Steroids.
			(18) Inj. Dexamethasone
			(19) Inj. Dexamethasone
			Beta Blockers:
			(20) Inj. Propranolol
			Bronchodilators:
			(21) Inj. Aminophyllin
			(22) Inj. Deriphyllin
			Antipyretics:
			(23) Inj. Paracetamol
			Antiemetic.
			(24) Inj. Metachlopramide
			(25) Inj. Phenrgan
			Antiallergic:
			(26) Inj. Chlorpheniramine Moleate

Sr No	Description of Goods	
	Cardiology:	
	(27) Inj. Streptokinase	
	(28) Inj. Nifroprusside	
	(29) Inj. Xylocard	
	(30) Cap. Nifedipine.	
	Gynaecology	
	(31) Inj. Pitocin	
	(32) Inj. Methergin	
	(33) Inj. Magnesium Sulphate.	
	Anticpileptics :	
	(34) Inj. Phenytoin	
	(35) Inj. Phenebarbitone.	
	Miscellaneous :	
	(36) Inj. PAM	
	(37) Snake Venom	
	(38) Inj. Chromostat	
	(39) ORS	
	(40) Inj. Insul. in (Plain)	
	(41) Inj. Niethamide	
	(42) Inj. Lasix	
	(43) Inj. Soda Bicar bonate	
	(44) Inj. Calcium Gluconate	
	(45) Inj. Potassium Chloride	
	(46) Inj. Atropine.	
69.	Beer when sold by the Country Liquor Licensees	if the Notification, No S.O 70/P.A. 46/48/S 31/Amd./99, dated the 15th October, 1999 and No S.O 69/P.A 46/48/S 5/Amd /99, dated the 15th October, 1999, were in force during the aforesaid period, and accordingly,—
70	Indian made foreign liquor of 60 degree proof when sold by and to the country liquor licensees.	(a) no suit on other proceedings shall be maintained or continued in any court for the refund of any tax so paid;
71.	All goods except foreign liquor as defined in sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Punjab Excise Liquor Definitions, 1951 on which duty is or may be levied under the Punjab Excise Act, 1914 of the Opium Act, 1878 subject to entry 69.”	(b) no court shall enforce any decree or order directing the refund of any tax so paid;
		(c) any tax levied or purported to have been levied on the first stage of sale of oil-seeds as specified against serial No. 3, under column 2 of Schedule 'D' of the Principal Act in respect of the period commencing on the 20th day of October, 1998, and ending with the 11th day of October, 1999, but not collected, may be recovered in the manner provided in the principal Act; and
		(d) any tax due on the first stage of sale of oil-seeds as specified against serial No 3, under column 2 of Schedule 'D' of the principal Act in respect of the period commencing on the 20th day of October, 1998, and ending with the 14th day of October, 1999, but not assessed or levied may be assessed or levied and collected in the manner provided in the principal Act, notwithstanding the period of limitation provided thereon.
		(3) For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing in sub-section (1) shall be construed as preventing any person—
		(a) from questioning in accordance with the provisions of the principal Act and the rules made thereunder, the levy or collection of such tax; or
		(b) from claiming refund of any tax paid by him in excess of the amount due from him under the principal Act as amended by this Act.

4. Amendments of Schedules 'C' and 'D' and Validation—(1) The amendments made in Schedules 'C' and 'D' of the principal Act, by notifications No. S.O. 70/P.A. 16/18/S.31/Amd/99, dated the 15th October, 1999, and No. S.O. 69/P.A. 16/18/S.5/Amd/99, dated the 15th October, 1999, respectively, shall be deemed to be in force during the period commencing on the 20th day of October, 1998, and ending with the 14th day of October, 1999.

(2) Notwithstanding any judgement, decree or order of any court or other authority, any tax levied or collected or purported to have been levied or collected on the first stage of sale of oil-seeds as specified against serial number 3, under column 2 of Schedule 'D' of the principal Act, in respect of the period commencing on the 20th day of October, 1998 and ending with the 14th day of October, 1999, shall for all purposes be deemed to be and to have always been levied or collected in accordance with law as

5. Repeal and Saving (1) The Punjab General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 2000 (Punjab Ordinance No. 2 of 2000), the Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 2000 (Punjab Ordinance No. 3 of 2000) and the Punjab General Sales tax (Third Amendment and Validation) Ordinance, 2000 (Punjab Ordinance No. 5 of 2000), are hereby repealed

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

S.S. GREWAL,
Secretary to Government of Punjab,
Department of Legal and Legislative Affairs.